न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

प्रकरण संख्या 43/2025 (GCMS: 2025/250)
(RTI No. : 212606549685054)

श्री साहबराम उम्र 70 वर्ष वरिष्ठ नागरिक पुत्र स्वर्गीय श्री रामलाल वर्मा जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 19, शनि मन्दिर के पास पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 93146–66515)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.09.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी साहबराम स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी साहबराम ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 24.03.2025 से सूचना चाही थी, जो राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी साहबराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.03.2025 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> मेरी पुत्रवधु श्रीमती सोनिया वर्मा पत्नी श्री भूपेन्द्र कुमार निवासी 5 ई छोटी, रामदेव कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को दिनांक 04.10.2017 को अजय कुमार पुत्र श्री राजकुमार के विरूद्ध कार्यवाही हेतु उक्त प्रार्थना पत्र के साथ कागजात पेश किये थे, जिनकी फोटोप्रतियां संलगन है। उक्त व्यक्ति अजय कुमार द्वारा मेरी पुत्रवधु पर चैक अनादरण का झूठा मुकदमा किया हुआ है तथा मेरी पुत्रवधु श्रीमती सोनिया के पति का देहांत हो चुका है जिस कारण मुझे श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.10.20217 के संदर्भ में आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना या प्रमाणित प्रतिलिपि दिलाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/34/2025/199 दिनांक 25.03.2025 से लोक सूचना अधिकारी एवं अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित कर दिया और अतिरिक्त

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आरटीआई प्रकरण संख्या 43/2025
(GCMS: 2025/250)
(RTI No. : 212606549685054)

पुलिस अधीक्षक एवं लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक (151)गंगा/लो.सू.अ./2025/752–53 दिनांक 21.04.2025 से अपीलार्थी का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगानुसार लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना चाही गई हैं।
>
> आप द्वारा चाही गई सूचना थानाधिकारी, पुलिस थाना–जवाहरनगर, जिला श्रीगंगानगर से प्राप्त की गई। जिनकी रिपोर्ट के मुताबिक चाही गई सूचना के संबंध में थाना हाजा के वर्ष 2017 की परिवाद पत्रावली एवं रजिस्ट्रर का रिकॉर्ड तलफ किया जा चुका है। अतः रिकॉर्ड तलफ किये जाने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती।
>
> प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, जिला श्रीगंगानगर हैं, जिनके कार्यालय दूरभाष नं. 0154–2443000 है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध पुलिस विभाग से होने के कारण उन्हें हस्तांतरित कर दिया था और अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी का मूल पत्र अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है।** इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के जवाब से असंतुष्ट हो तो, पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज़ की जाती है। **आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर